न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 04/2024

सरकार जरिये दीपक कुमार सिन्धी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी,

बनाम

1. श्री युगल किशोर गर्ग पुत्र स्वः श्री रतनलाल गर्ग (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स धर्मेन्द्र कुमार राजेश कुमार, इन्द्रा मार्केट चाकसू, जिला–जयपुर–303901 निवासी–वार्ड न0 19, बालवाडी मौहल्ला, चाकसू, जिला–जयपुर।
2. श्री मुकेश कुमार जैन (मालिक) मैसर्स– लोहिया ट्रेडर्स, दुकान नं0 4/5–6, ढेर के बालाजी, सीकर रोड, जयपुर–302017
3. श्री अखिलेश व्यास (नोमिनी) मैसर्स – गोयल प्रोटिन्स लिमिटेड, ए–27. राजधानी कृषि उपज मंडी, कूकरखेडा, सीकर रोड, जयपुर।
4. मैसर्स – गोयल प्रोटिन्स लिमिटेड, (जरिये नोमिनी) ए–27, राजधानी कृषि उपज मंडी, कूकरखेडा, सीकर रोड, जयपुर
5. Mr- GANSHYAM MORYA (NOMINI) M/S GOYAL PROTIENS LTD, NH-52, KOTA-JHALAWAR ROAD, KASAR TEH-LADPURA, KOTA RAJASTHAN-325003
6. M/S GOYAL PROTIENS LTD (जरिये नोमिनी) NH-52, KOTA-JHALAWAR ROAD, KASAR TEH-LADPURA, KOTA RAJASTHAN-325003

अप्रार्थीगण,

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26, की उप धारा 2 (II)/52 एफएसएसए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011)

उपस्थितिः–

1. विभागीय प्रतिनिधि ।
2. श्री रविराज केदावत, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. श्री कुलदीप शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 06 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक : 30.04.2026**

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)/52 एफएसएसए एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.09.2022 को दोपहर 2.00 पी.एम मैसर्स धर्मेन्द्र कुमार राजेश कुमार इन्द्रा मार्केट चाकसू जिला–जयपुर पर पहुँचा। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल

(दीपज्योति) के 500 एमएल वजन वाले PET बोतलो के 5 कार्टन (5X24X500ml) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जॉच हेतु एक कार्टन में से 4 सील्ड PET बोतल रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 4x500ml खरीदकर वास्ते जॉच खाद्य विश्लेषक, जयपुर राज, को भिजवाये जाने पर खाद्य विश्लेषक, जयपुर राज, ने उनकी जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2718/एक्ट/2022/2749 दिनांक 12.09.2022 में विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) मिसब्राण्ड होना पाया गया, अतः धारा 52 में निर्धारित जुर्माना राशि से दण्डित किया जावे ।

उक्त आशय का परिवाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये और जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। विद्वान विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.09.2022 को दोपहर 2.00 पी.एम मैसर्स धर्मेन्द्र कुमार राजेश कुमार इन्द्रा मार्केट चाकसू जिला–जयपुर पर पहुँचे। वहां पर श्री युगल किशोर गर्ग पुत्र स्वः श्री रतनलाल गर्ग उपस्थित मिले। श्री युगल किशोर गर्ग को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री युगल किशोर गर्ग ने स्वयं को मैसर्स धर्मेन्द्र कुमार राजेश कुमार इन्द्रा मार्केट चाकसू, जिला–जयपुर का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री युगल किशोर गर्ग से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र, की छाया प्रति मौके पर ही प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) के 500 एमएल वजन वाले PET बोतलो के 5 कार्टन (5X24X500ml) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जॉच हेतु एक कार्टन में से 4 सील्ड PET बोतल रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 4x500ml खरीदकर उनकी कीमत 277/– रुपये विक्रेता श्री युगल किशोर गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री निहाल चंद अग्रवाल एवं लल्लु प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक् कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर श्री युगल किशोर गर्ग द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल का अग्रिम खरीद बिल मैसर्स–लोहिया ट्रेडर्स, सीकर रोड, जयपुर का इनवाइस नं० 2088 दिनांक 05.08.2022 प्रस्तुत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा

जिसे श्री युगल किशोर गर्ग ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री युगल किशोर गर्ग को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सील्ड PET बोतल रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 4x500ml पर लेबल तैयार कर चिपकाये और प्रत्येक लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN 2796 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN-2796 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/713 दिनांक 17.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर राज, से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2718/एक्ट/2022/2749 दिनांक 12.09.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) मिसब्राण्ड होना पाया गया, इसकी विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में कोई अपील पेश नहीं की गई है ऐसी स्थिति में दोष सिद्ध है अतः अधिकतम राशि से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रविराज केदावत द्वारा दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 01.09.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी से रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की सीलबन्द पेट बोटलस् नमूने में ली थी, वह बोटलस् प्रार्थी ने जरिये इनवाईस नम्बर 2088 दिनांक 05.08.2022 द्वारा विपक्षी नम्बर 2 मैसर्स

लोहिया ट्रेडर्स, दुकान नम्बर 4/5–6, ढेर के बालाजी, सीकर रोड, जयपुर से खरीद की थी और अप्रार्थी ने उन बोटलस् को प्रोपरली स्टोर करके रखा था। खरीद इनवाईस की प्रति, अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पेश कर दी थी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ उक्त इनवाईस की प्रति पेश की है एवं अप्रार्थी ने भी इनवाईस की प्रति के साथ पेश की है। विपक्षी न.1 ने धारा 26(4) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 के तहत जो इनवाईस रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटलस् खरीदने का प्राप्त किया था वह गारन्टी की तारीफ में आता है और धारा 80 (B) (2) (d) (i) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 के तहत विपक्षी न.1 गारन्टी का बचन पाने के अधिकारी है तथा उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटलस् में कोई कमी किसी भी रूप से पाई जाती है तो उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटलस् का डीलर विपक्षी नम्बर 2 एवं निर्माता मैसर्स गोयल प्रोटिन्स लिमिटेड विपक्षी नम्बर 6 ही उसके लिए उत्तरदायी एवम् जिम्मेदार माने जा सकते है। अतः कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 लागतयत 6 के विद्वान् अभिभाषक श्री कुलदीप शर्मा ने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त आवेदन पत्र में फूड एनेलिस्ट की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नमूने को मिस ब्राण्ड माना है जबकि मिस ब्राण्ड के लिए फूड एनेलिस्ट की राय की आवश्यकता नहीं होती है जैसाकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नें 2018 (1) FAC Page 253 Bhole Baba Industies (Dholpur) – another V/S State of Rajasthan – another में निर्णित किया है "It was not within domain of the public analyst to make a report of the sample being misbrand" तथा ऐसा ही माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 2009 (2) FAC Page 199 P- Robert Immanuel and Another V/s The State Represented by the food inspector में निर्णित किया है कि "No adulteration but found to be misbranded misbranding of label does not require Public Analyst opinion petition not liable for prosecution" तथा मिस ब्राण्ड के बारे में मौके के कागजो में नहीं लिखा होने पर अप्रार्थीगण के खिलाफ मामला नहीं चल सकता है जैसाकि माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 2009 (1) FAC Page 150 Kulbir Sharma V/s State of HP में निर्णित किया है कि "The Food Inspector while picking up the sample did not mention in Panchnama that nothing was mentioned on label of the packet as opined by the Public Analyst the allegation of misbranding also stands not proved" एवं बिना कारण बताये ही जाँच रिपोर्ट के आधार पर नमूना मिस ब्राण्ड नहीं माना जा सकता है जैसाकि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 2011 FAJ Page 614 Premalatha Viji and others V/s L.K. Muralidharana, Food Inspector में निर्णित किया है कि "There must be a specific averment that costumers being

mislead on account of misbranding & In absence of any such clear avertments, it cannot be said that customers are misled or misdirected Complaint against petitioners liable to be quashed." इस कारण से अप्रार्थीगण के खिलाफ नमूने में मिस ब्राण्ड के लिए अभियोजन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। FSSAI की Advisory: F. No. STD/SP–18-MISC-2022 Dated 11th July, 2023 के अनुसार खाद्य वस्तु के पैकिट पर RDA की घोषणा देने की छूट दिनांक 01.07.2023 से छः माह तक थी यानि 31.12.2023 तक की छूट थी । इस कारण से जिस दिन नमूना लिया गया उस दिन RDA की घोषणा दिये जाने की छूट थी और उक्त घोषणा ना दिये जाने पर FSS (Labelling and Display) Regulation, 2020 के किसी मी प्रावधानों का उल्लधन नहीं होता। नमूने में ली गई रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटल पर लेबल में Best Before 6 months from packaging लिखा हुआ था जिससे क्रेता को पूर्ण जानकारी मिलती थी कि तेल को कब तक काम में लेना है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2005 (2) FAC page 122 Jagdish Prasad Didwania and another V/s State of Bihar and another में निर्णित किया है कि "Requirement that expiry date/period to be mentioned in a particular format-expiry period of article mentioned clearly but in a different manner than the statutory requirement- no breach of rule" एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2017 (1) FAC page 12 Pushpendra Nath Shangari V/s The State of Bihar and others में निर्णित किया है कि "The evidence on record showed that though the expiry period of the article has not been indicated exactly in the manner, as required by the Rule, there has been more than substantial compliance of the provisions" तथा ऐसा ही मत माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2013 (1) FAC page 457 Ramesh and another V/s State of M.P. में व्यक्त किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017 (1) FAC page 255 Om Prakash Natani V/s State of Rajasthan & another में निर्णित किया है कि Best Before कि लिखी इबारत से विक्रेता को जानकारी मिलती है कि वस्तु को कब तक काम में लेना है और Best Before का अभिप्राय (substance) भी यही होता है। इस कारण से Expiry/Use by date की बजाय Best Before 6 months from packaging लिखा होने मात्र से उक्त प्रावधान की substantial compliance होती है एवं नमूना मिस ब्राण्ड की तारीफ में नहीं आता है। इसलिये प्रार्थीगण के खिलाफ एफएसएसए (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) रेगुलेशन, 2020 के प्रावधानों के उल्लघन बाबत अभियोजन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। नमूने में लिया गया रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटल विपक्षी न. 2 ने विपक्षी न. 4 से तथा विपक्षी न. 4 ने विपक्षी न. 6 से जिस सीलबन्द

हालत में प्राप्त की थी, उसी सीलबन्द हालत में विपक्षी नम्बर 2 लगायत 4 ने रिफाइन्ड रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटल का बेचान किया था और विपक्षी नम्बर 2 लगायत 4 ने धारा 26 (4) एफ.एस. एस. एक्ट, 2006 के तहत जो बिल रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटल खरीदने का प्राप्त किया था वह गारन्टी की तारीफ में आता है और धारा 80 (B) (2) (d) (i) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 के तहत विपक्षी नम्बर 2 लगायत 4 गारन्टी का बचान पाने के अधिकारी है तथा उक्त रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटल में कोई कमी किसी भी रूप से पाई जाती है तो उक्त रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (दीपज्योति) 500 एमएल की पेट बोटल का निर्माता विपक्षी नम्बर 6 ही उसके लिए उत्तरदायी एवं जिम्मेदार माना जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें।

उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वरवक्त बहस अप्रार्थी के अभिभाषक कथन किया गया है कि खाद्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार Expiry/Use by एवं आर.डी.ए. नही लिखा होने के कारण मिसब्राण्ड माना है, अप्रार्थी के कथन पर नमूना जॉच कोड एवं क्रमांक AN-2796 विभाग से वास्ते निरीक्षण चाहा गया था किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद नमूना जॉच प्रस्तुत नही किया गया अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रैपर के द्वारा स्पष्ट है कि Best before लिखा हुआ है इसके बावजूद भी FSSAI की Advisory: File No. STD/SP/18/MISC/2022 Dated 11th July, 2023 के अनुसार खाद्य वस्तु के पैकिट पर RDA की घोषणा देने की छूट दिनांक 01-07-2023 से छः माह तक थी यानि 31-12- 2023 छूट थी इस तरह यह जाहिर है कि जिस दिन नमूना लिया गया उस दिन RDA की घोषणा दिये जाने की छूट थी और उक्त घोषणा ना दिये जाने पर FSS (Labelling and Display) Regulation 2020 के किसी मी प्रावधानों का उल्लधन सिद्ध नहीं होता है उक्त विवेचनानुसार खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड की श्रेणी में नही माना जा सकता अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 2011 खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट(द्वितीय)
जयपुर।